विचार बिन्दु

श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जो एक बार घोल कर पी लेता है वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है। -अमृतलाल नागर

क्या है सोशल मीडिया का वास्तविक स्वरूप!

मार्शल मैक्लुहान का एक प्रसिद्ध कथन है कि ''सभी मीडिया किसी न किसी मानवीय क्षमता का विस्तार हैं- मानसिक हो या शारीरिक''। इस आधार पर हमें सोशल मीडिया को उसके वास्तविक स्वरूप में समझने में मदद मिल सकती है। आभासी ऑनलाइन दुनिया का विस्तार इतना व्यापक है कि कोई आश्चर्य नहीं कि यह हमारी भौतिक ऑफ़लाइन वास्तविकता में भी घुस कर उसे उथल-पुथल कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे हैं कि यह ''वास्तविकता के पुनर्निर्माण का युग'' है। सूचना का अतिभार इतना है कि तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल हो चला है। इसके चलते कुछ विशेषज्ञ यह निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि वर्तमान 'सूचना युग' वास्तव में 'झूठी सूचना का युग' है, जिसमें सत्य बार-बार बलि चढ़ता है। एक समय था जब समाचार मीडिया संगठनों द्वारा तथ्य को पवित्र माना जाता था। हालांकि यह भी तथ्य है कि पूर्ण सत्य हमेशा ही मीडियाकर्मियों से दूर रहा है, लेकिन उन्होंने जितना संभव हो सके इसके करीब पहुंचने की कोशिश जरूर की। बीबीसी के एक प्रसिद्ध प्रोमो को याद किया जा सकता है जिसमें दावा किया जाता था कि ''सत्य के कई शेड्स होते हैं और हम उन सभी को प्रस्तुत करते हैं''। एक नये शब्द 'पोस्ट-ट्रुथ' ने 2016 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में प्रवेश किया। इसे एक विशेषण के रूप में परिभाषित किया गया था, यानि वस्तुनिष्ठ तथ्य जनमत को बनाने में कम प्रभावी प्रभावी होते हैं मगर भावनाओं और व्यक्तिगत विश्वासों को उभारने में अधिक कारगर होते है। 'पोस्ट-ट्रुथ' को 'वर्ष का शब्द' नामित करते हुए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अध्यक्ष ने एक दशक से भी कम समय पहले कहा था: ''यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी पसंद एक ऐसे वर्ष को दर्शाती है जो अत्यधिक आवेशित राजनीतिक और सामाजिक प्रवचन से प्रभावित है। समाचार स्त्रोत के रूप में सोशल मीडिया के उदय और प्रतिष्ठान द्वारा पेश किए गए तथ्यों के प्रति बढ़ते अविश्वास से प्रेरित होकर, एक अवधारणा के रूप में पोस्ट-ट्रुथ कुछ समय से अपनी भाषाई पैर जमा रहा है।'' इसके लगभग एक दशक बाद यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता हैं कि हम अब पोस्ट-ट्रुथ युग में रह रहे हैं। मगर यह जुमला अब पुराना हो गया है। कभी हमें बताया जाता था कि सोशल मीडिया राष्ट्रीय सीमाओं और सभी बाधाओं को तोड़कर लोगों को एक साथ लाता है तथा वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से सुनिश्चित करता है। इसीलिए स्वतंत्र सोशल मीडिया के आगमन से उत्साहित होकर पत्रकारिता शिक्षा के सभी संस्थान सोशल मीडिया और ऑनलाइन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की होड़ में कूद पड़े। पत्रकारिता और जनसंचार के विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम और डिग्रियां उन पासआउट के लिए नौकरियों के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गईं जो अब न केवल बाजार के उत्पादों बल्कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को बढ़ावा देने के लिए औजार बन कर मजदूरी का जरिया बन गई। सभी स्वतंत्र पत्रकार हो गये। ऐसे मजदूरों को सम्मानजनक इंफ्लुएंसर का नाम दे दिया गया। केंद्र और राज्यों की सरकारों ने भी उनकी सेवाएं लेना शुरू कर दी है। प्रचार का काम करने वाले अब पत्रकार मान लिए गये हैं।

सोशल मीडिया का अब तक का अनुभव बताता है कि वह कुछ और भी करता है। वह जो कुछ और करता है वह अब बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। वास्तव में वह एकता को तोड़ता है और सीधे टकराव की सुविधा देकर लोगों को विभाजित करता है। इसलिए, इसे उचित ही विभाजनकारी मीडिया के रूप में वर्णित किया जाने लगा है जो आम सहमति के प्रयासों की हमारी क्षमता को बाधित करता है। आम सहमति के बिना कोई भी समाज ज्ञान का साझा-निर्माण नहीं कर सकता है। समाज में टकराव के मुद्दों की कभी कोई कमी नहीं होती हैं। हम विवादित पक्षों के अनुयाइयों को सोशल मीडिया पर आम तौर पर कटु शब्दों वाले द्वंद्व और झगड़ों में लिप्त रहते पाते हैं। यहां दोस्त बनाये जाते हैं और लोगों को अनफ्रेंड भी किया जाता है। सोशल मीडिया कुछ और भी करता है। यह समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय बनाता है। ऐसे समुदायों के लोग एक-दूसरे को हर तरह से पसंद करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स जैसे पटलों पर बने मित्र मोटे तौर पर समान विश्वदृष्टि रखते हैं। समान हित और विचारधाराएं उन्हें जोड़ती हैं। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सबसे पहले समान विचारधारा वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ता है जो ऐसी पोस्टें करते हैं जो उसके दृष्टिकोण को पुष्ट करती है। यह भी सब जानते हैं कि एल्गोरिदम का उपयोग करके सोशल मीडिया को झूठ और फर्जी कहानियां फैलाने के लिए अनुकूल बनाया जाता है। भोले-भाले लोग यह मानते रहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म निष्पक्ष माध्यम हैं। यहां तक कि राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को बताते हुए इस हद तक आगे बढ़ कर कहता है कि सोशल मीडिया ने ''संचार के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस माध्यम ने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को आवाज़ दी है जिनका मुख्यधारा के समाचार मीडिया में बहुत कम प्रतिनिधित्व था या वे अनुपस्थित थे। सोशल मीडिया ने नागरिकों को सरकारों और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन प्रदान किया है।'' सोशल मीडिया पर सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। कोई भी किसी भी चीज को समाचार कह सकता है। और हर कोई किसी भी चीज को फर्जी खबर कह सकता है, ट्रोल कर सकता है। कोई नहीं जानता कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। सोशल मीडिया समाज को आभासी जगत में ले जाता है। मुख्यधारा के भौतिक मीडिया के विपरीत सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक कनेक्शन पर काम करता है। संदेश इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वे भावनाओं को छूते हैं। सोशल मीडिया, वास्तव में, बाजार उद्यम हैं। इन उद्यमों का उत्पाद उनके उपयोगकर्ता 'हम लोग' हैं। लोगों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए रखने के लिए एल्गोरिद्म डिज़ाइन किया जाता है। यदि कोई मोदी विरोधी के रूप में क्लिक करता है, तो एल्गोरिथ्म उसे और अधिक मोदी विरोधी सामग्री दिखलाएगा और इसके विपरीत यदि कोई राहुल गांधी विरोध का संकेत देता है तो उसे एल्गोरिद्म वैसी सामग्री परोसेगा। इस प्रकार लोगों के पूर्वाग्रहों की पुष्टि होती है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके दूसरों के प्रति घृणा को बढ़ाया जाता है। सोशल मीडिया का उदय शासन प्रणाली, विशेष रूप से इसकी संस्थाओं, में विश्वास के संकट के साथ हुआ है। एक के बाद एक बड़े वित्तीय घोटालों के साथ मीडिया में लोगों के विश्वास में दीर्घकालिक गिरावट आई है। इसका मतलब है कि जिन बुनियादी संस्थानों पर लोकतंत्र आधारित है, उन्हें बदनाम किया जाता है। परिणामस्वरूप हम लोकलुभावन जननायकों और राष्ट्रवादी जननायकों का उदय देखते हैं।

बीसवीं सदी के दौरान लंबे समय तक प्रिंट मीडिया और बाद में प्रसारण मीडिया ने समाज और राजनीति को आकार दिया। डिजिटल मीडिया जिसे विशेषज्ञों ने मुक्ति-मीडिया के रूप में देखा वह जिस धमाकेदार तरीके से आया, उसने अचानक पुराने संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामाजिक रूप से विनाशकारी भूमिका के खिलाफ आवाजें सुन रहे हैं।

पुस्तक वॉर इन 140 कैरेक्टर्स: हाउ सोशल मीडिया इज रीशेपिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के लेखक डेविड पैट्रिकर्कस कहते हैं कि, ''जितना अधिक संदेह आप लोगों के मन में सभी सूचनाओं के प्रति जगा सकते हैं उतना ही सत्य को पहचानने की उनकी प्रवृत्ति को कमजोर कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पुराने युग के राजनेताओं की तरह सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश करना नहीं है, बल्कि इस धारणा को ही खत्म करना है कि कोई वस्तुनिष्ठ सत्य मौजूद है।'' अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारा यह विश्वास कि इंटरनेट और डिजिटल मीडिया तकनीक हमें स्वतंत्रता के एक नए युग में ले जाएगी, अब भी सच हो सकता है? मगर अनेकों को लगता है कि ''लोकतांत्रिक बदलाव के लिए आशावादी दृष्टिकोण'' जो कभी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में निहित था, उसमें से बहुत कुछ खो गया है और अब एक गहरी निराशावादिता छा गई है। नागरिक जीवन पर डिजिटल मीडिया के सभी रूपों के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में गहन अनिश्चितता प्रतीत होती है, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जो कई लोगों के लिए आभासी की जगह वास्तविक बन गए हैं। कुछ समाजशास्त्री इसे एक समस्याग्रस्त पहलू मानते हैं कि किस प्रकार डिजिटल मीडिया अपना स्वरूप बदल रहा है, जनमत का निर्माण किस प्रकार हो रहा है तथा उदार लोकतंत्रों की नागरिक संस्कृति किस प्रकार विकसित हो रही है। बीसवीं सदी के दौरान लंबे समय तक प्रिंट मीडिया और बाद में प्रसारण मीडिया ने समाज और राजनीति को आकार दिया। डिजिटल मीडिया जिसे विशेषज्ञों ने मुक्ति-मीडिया के रूप में देखा वह जिस धमाकेदार तरीके से आया, उसने अचानक पुराने संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामाजिक रूप से विनाशकारी भूमिका के खिलाफ आवाजें सुन रहे हैं। कुछ टिप्पणीकार 'निगरानी पूंजीवाद' पर आधारित सोशल मीडिया की एकाधिकार शक्ति की बात करते हैं। राजनीतिक समूहों और कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा उनका उपयोग और दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां हमारा नफरत और असहिष्णुता के प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए, लोगों को, विशेष रूप से मीडियाकर्मियों को, अस्वस्थ सूचना वातावरण से दूर रहकर वास्तविक सूचना स्त्रोतों से जुड़े रहने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों पर अनजाने में विश्वास न करने और वास्तविक पुस्तकों को भौतिक रूप में पढ़ने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राजस्थान: जल जीवन मिशन के बावजूद प्यासा का प्यासा

राजेन्द्र मोहन शर्मा

राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य, गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। 68 प्रतिशत रेगिस्तानी भूमि और 400 से 600 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा, जो राष्ट्रीय औसत (1,100 मिलीमीटर) से काफी कम है उस पर ऊपर से अंधाधुंध पानी का दोहन और रेत के धोरों पर भ्रष्टाचार की नदियों का अकूत प्रवाह इस संकट की जड़ है। केंद्रीय जल आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता केवल 900 क्यूबिक मीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,545 क्यूबिक मीटर है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 295 ब्लॉकों में से 70 प्रतिशत डार्क जोन में हैं, जहाँ भूजल स्तर लगभग 300 मीटर तक नीचे चला गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की 2024 की स्टडी के अनुसार, पिछले दो दशकों में भूजल स्तर में 2 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट आई है। लूनी और बनास जैसी नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, 70 प्रतिशत तालाब और जलाशय सूख चुके हैं या अतिक्रमण और कचरे की भेंट चढ़ गए हैं। गर्मियों में, जब तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, पेयजल की माँग चरम पर होती है तब हमारे पास पंहुचाने को पानी होता ही नहीं है। राजस्थान जल संसाधन विभाग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत हैंडपंप और ट्यूबवेल गर्मियों में सूख जाते हैं। जल बिरादरी की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख ग्रामीण परिवार स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। यूनिसेफ की 2024 की स्टडी के मुताबिक, ग्रामीण महिलाएँ और लड़कियाँ अब भी प्रतिदिन 4-6 घंटे पानी लाने में बिताती हैं, जिससे 30प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पातीं। टैंकरों की अनियमित आपूर्ति और 500 रुपये प्रति टैंकर की कीमत गरीब परिवारों के लिए बोझ है। कृषि पर भी जल संकट की गहरी मार पड़ रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भूजल दोहन के कारण 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में कमी आई है। 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि बंजर हो चुकी है, खासकर डार्क जोन ब्लॉकों में, जहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था तब 1.07 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 2024 तक नल से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय की 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, केवल 60 लाख परिवारों (56प्रतिशत) को ही यह सुविधा मिल सकी है। अब भी राज्य के 17,000 गाँवों में नल का पानी नही है। आदिवासी क्षेत्रों में केवल 29 प्रतिशत घरों में नल का पानी उपलब्ध है। कई जगह पाइपलाइनें बिछाई गईं, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। रखरखाव के लिए फंड की कमी और टूटी पाइपलाइनों ने जल जीवन मिशन को कमजोर किया है।

भ्रष्टाचार ने जल जीवन मिशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये के आवंटित फंड में से लगभग 25 प्रतिशत यानी करीब 3,750 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे । कागजों पर 100ङ नल कनेक्शन दिखाए गए, लेकिन कई गाँवों में नल का पानी पंहुचा ही नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही, और ठेकेदारों ने निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया, जिससे पाइपलाइनें जल्दी खराब हो गईं। इससे लागत 30 प्रतिशत तक बढ़ाई गई, फिर भी कार्य अधूरे ही रहे।

जल संरक्षण फाउंडेशन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 10 प्रतिशत पाइपलाइन परियोजनाएँ तो केवल कागजों में ही पूरी हुईं। कई जगह पानी की आपूर्ति के लिए पंप या बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए, और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पड़ोसी राज्यों से पानी के समझौते भी आधे-अधूरे हैं। इंदिरा गांधी नहर बीकानेर और जैसलमेर में पंजाब से पानी लाती है, जिससे 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। लेकिन राजस्थान जल संसाधन विभाग की 2024 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, खराब रखरखाव और चोरी के कारण 30 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है। नर्मदा नहर बांसवाड़ा में गुजरात से पानी लाती है, जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होता है, लेकिन गुजरात के साथ विवाद के कारण यहां भी पानी की आपूर्ति अनियमित है। यमुना का पानी अलवर और भरतपुर के लिए है, लेकिन हरियाणा अपर्याप्त पानी छोड़ता है। य

द्यपि जल संरक्षण के प्रयासों में कुछ प्रगति अवश्य हुई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ने 2016 से 2025 तक 2.5 लाख जल संचयन संरचनाएँ, जैसे तालाब, चेक डैम, और एनीकट, बनाए गए हैं। झालावाड़ में कालिसिंध नदी पर बना एक एनीकट 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर रहा है। सीकर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिला है। लूनी और बनास जैसी नदियों के पुनर्जनन के लिए छोटे चेक डैम बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास विशाल संकट के सामने नाकाफी हैं। इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदमों की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और तृतीय-पक्ष ऑडिट अनिवार्य हों। टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन और प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। सूखे तालाबों और जलाशयों के पुनर्जनन के लिए राज्य-स्तरीय अभियान शुरू हो, और वाटर बाडीज एरिया में अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कानून लागू हों। डार्क जोन ब्लॉकों में ट्यूबवेल ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगे और रेनवाटर हार्वेस्टिंग को पूरे राज्य में अनिवार्य किया जाए। भूजल रिचार्ज के लिए बड़े पैमाने पर चेक डैम और तालाब बनाए जाएँ।

पड़ोसी राज्यों के साथ पानी के समझौतों के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय समिति बने। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत और पानी की चोरी रोकने के लिए निगरानी बढ़े। स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण में शामिल किया जाए, और स्कूलों में जल प्रबंधन पर पाठ्यक्रम शुरू हों। ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट वाटर मीटरिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिले। जल जीवन मिशन के लिए 2025-26 में 74,226 करोड़ रुपये का बजट है, लेकिन बिना भ्रष्टाचार पर लगाम और कार्यान्वयन में सुधार के यह राशि भी अपर्याप्त साबित होगी। राजस्थान का जल संकट केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका की चुनौती है। इसे हल करने के लिए सरकार, समाज, और नागरिकों को एकजुट होकर मिशनरी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

राजेन्द्र मोहन शर्मा,
साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक

धर्म गुरूओं को बाल विवाह मुक्त अभियान में जोड़ा

■ बाल विवाह मुक्त भारत की दिशा में बढ़ाया कदम, झुंझुनूं में अभियान का शुभारंभ किया

झुंझुनूं, (निसं)। अक्षय तृतीया पर होने वाले अबूझ सावे पर बाल विवाह को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने धर्मगुरूओं को अभियान से जोड़ते हुए उनसे अपील की है कि वे किसी भी नाबालिग की शादी ना करवाएं। झुंझुनूं में इस अभियान का शुभारंभ किया गया।

राजस्थान महिला कल्याण मंडल की जिला प्रभारी चेतना शर्मा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन तथा एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तहत राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने ना केवल झुंझुनूं, बल्कि चूरू, नागौर, अजमेर, डीडवाना-कुचामन और बीकानेर में इस अभियान की शुरूआत की है। झुंझुनूं को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में पिछले दो सालों से काम किया जा रहा है। जागरूकता से काफी बाल विवाह रूकवाए भी गए हैं, लेकिन जब तक इस अभियान में धर्मगुरू शामिल नहीं होंगे, यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सकता। इसलिए अब इस अभियान में धर्मगुरूओं को शामिल करते हुए संकल्प लिया गया है कि 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत में झुंझुनूं और राजस्थान भी अपना पूरा सहयोग देगा। उन्होंने बताया इस अभियान के तहत अब धर्मगुरूओं द्वारा भी लोगों को बाल विवाह ना करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

अपहृत बालिका को दस्तयाब किया

सुलताना, (निसं)। लापता बच्चों को ढूंढने के लिए राजस्थान पुलिस ने खुशी-9 अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत झुंझुनूं की सुलताना पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को करीब 700 किलोमीटर तक पीछाकर कोटा के रानपुर से दस्तयाब किया। दर्ज हुए मामले में अनुसंधान के बाद नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को भी सुलताना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

सुलताना एसएचओ रविंद्र कुमार ने बताया कि थाने में एक युवक ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने सूचना जुटाई और नाबालिग की तलाश में करीब 700 किलोमीटर दूर कोटा के रानपुर तक पहुंची। जहां से नाबालिग को दस्तयाब किया गया। इस मामले में नाबालिग के बयान और परिजनों की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया था। इस मामले में नाबालिग का अपहरण करने वाले कोटा के रानपुर थाना इलाके के लखावा निवासी नरेश पुत्र गुलाब भाट को भी गिरफ्तार किया गया है।

मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल

विजया रहाटकर

भारत में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक पहल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। पिछले लगभग एक दशक से महिलाओं को उनके अधिकार, सम्मान और हिस्सेदारी दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नैतिकता, ऐतिहासिकता और वैधानिकता के सभी मानकों पर खरा उतरते हुए यह अधिनियम न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सशक्तिकरण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत में वक्फ के पास लाखों एकड़ भूमि होने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण या अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई थी। यह अधिनियम इन सभी कमियों को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

1. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी:- पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह नारी सहभागिता की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। अब महिलाओं का अनुभव और उनकी प्राथमिकताएं भी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी।

2. महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा:- वक्फ-अलाल-औलाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्ति को परिवार के लिए समर्पित किया जाता है। पहले, इस व्यवस्था में कई बार महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की अनदेखी होती थी, सिर्फ घर के पुरुषों को ही उत्तराधिकार का लाभ मिलता था। वक्फ-अलाल-औलाद में नई व्यवस्था के तहत अब महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है। संशोधित अधिनियम महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में उनका उचित अधिकार दिलाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती मिलेगी। आर्थिक रूप से सशक्त महिला में सुरक्षा व सम्मान की भावना अधिक होती है।

3. वंचितों के लिए आर्थिक सहायता:-अब वक्फ की आय का उपयोग विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु भी किया जा सकेगा। इससे उन्हें आवश्यक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

4. पारदर्शिता और तकनीकी सशक्तिकरण:-डिजिटल तकनीकों के उपयोग और ऑनलाइन पोर्टलों की स्थापना से महिलाएं अपनी संपत्तियों और कानूनी अधिकारों से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। यह पहल उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाएगी।

5. विभिन्न मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व:-यह अधिनियम शिया, सुन्नी, बोहरा, अगा खानी समेत सभी मुस्लिम समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

6. शिक्षा और स्वास्थ्य तक व्यापक पहुंच:-वक्फ संपत्तियों के समुचित उपयोग से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ेगा, विशेषकर गरीब और वंचित मुसलमानों को लाभ मिलेगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

7. कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण:-नया अधिनियम कौशल विकास, माइक्रोफाइनेंस, व्यावसायिक शिक्षा, विधवा पेंशन और मुफ्त कानूनी सहायता जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का भी विस्तार करेगा। महिलाओं को उत्तराधिकार, पारिवारिक विवादों और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में आवश्यक कानूनी सहायता मिल सकेगी।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 न्याय, समानता और सहभागिता के आदर्शों को सशक्त करता है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक ठोस कदम है। तीन तलाक के विरुद्ध कानून, बिना मेहरम के हज की अनुमति और प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना जैसे अन्य कदमों के साथ मिलकर यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भरता, गरिमा और सम्मान दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। यह प्रगतिशील पहल स्वागत योग्य है। मुस्लिम बहन वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 द्वारा मिले अधिकारों और अवसरों का पूरा लाभ उठाकर निश्चित ही सशक्त होंगी। यह समय है बदलाव को अपनाने का, भविष्य को संवारने का और विकसित, समावेशी भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का।

विजया रहाटकर,
(अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग)

राशिफल बुधवार 30 अप्रैल, 2025

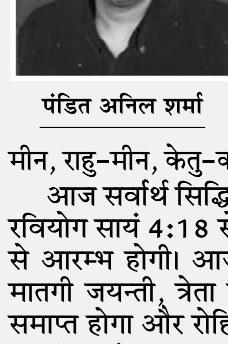

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र सायं 4:18 तक, शोभन योग दिन 12:01 तक, गर करण दिन 2:21 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:15 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय सम्पूर्ण दिन-रात है। रवियोग सायं 4:18 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 12:48 से आरम्भ होगी। आज आखातीज, अक्षया तृतीया, श्री मातगी जयन्ती, त्रेता युगादि, क्ल्पादि है। आज वर्षीतप समाप्त होगा और रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:09 तक, शुभ 10:46 से 12:24 तक, चर 3:38 से 5:14 तक, लाभ 5:14 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:53, सूर्यास्त 6:55

मेष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

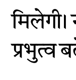

कर्क

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

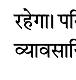

वृश्चिक

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

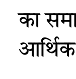

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।